अनवान दीपाराम वगै. v/s नगाराम वगै.

मुकदमा नंबर 449 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.25	पत्रावली पेश हुई।	

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी ।

प्रार्थीगण वकील की बहस है कि अज अदालत में विचाराधीन प्रकरण संख्या 306।/2010 अनवान नगाराम बनाम दीपाराम में प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.05.2016 न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प स्थल गुडा में उक्त वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने के आदेश पारित किया गया जो प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। मूल वाद में प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को जो सम्मन जारी किये गये थे उनकी तामील कुनिन्दा द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुरूप नहीं किये गये। तामील कुनिन्दा द्वारा जोतामील करवाई गई है उसर पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के फर्जी हस्ताक्षर,अंगुष्ठ निशान है, तामील कुनिन्दा द्वारा मूल वाद में प्रतिवादी अतियो की तामील बताई गई है जबकि अतियो को फौत वाद दर्ज होने से लगभग 4 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। अज अदालत में पेश हुए सम्मन की तामिली विधि सम्मत नहीं थे,ऐसेसम्मन तामिली की तारीफ में नहीं आते है।तामील कुनिन्दा द्वारा आदश 5 नियम 18 सी.पी.सी की पालना नहीं की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थान पत्र स्वीकार किया जाकर 16.06.2016 को जारी प्राथमिक डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

विप्रार्थीगण (वादीगण) के अधिवक्ता की बहस है कि तामील कुनिन्दा द्वारा तामीले सी.पी.सी. की पालना करते हुए की गई है। मूल वाद में जसराज के फौत होन पर उनके विधिक वारिसान को रेकर्ड में लिये जाने की जानकारी होनेके पश्चात प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) को कोई उज/ एतराज प्रस्तुत नहीं कियाग या। न्याय आपके द्वार अभियान 2016 को कैम्प स्थल गुडा में आयोजित होने वाले अभियान के तहत अज अदालत द्वारा प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को नोटिस जारी किये गये जाने के पश्चात भी प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के शिविर में अनुपस्थित रहे। अर्थात प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को उक्त अभियान की पूर्ण जानकारी के पश्चात भी शिविर स्थल पर अनुपस्थित रहना से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का उक्त वाद की पूर्ण जानकारी थी प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का यह कहना की उक्त वाद की उन्हे जानकारी नहीं होना पूर्णतया सत्य नहीं है। प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को वाद पत्र की पूर्ण जानकारी थी लिहाजा प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

हमने दोना पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अव[illegible] अध्ययन किया तथा अज अदालत में विचाराधीन मूल वाद [illegible] 306/2010 अनवान नगाराम बनाम दीपाराम की पत्रावली तलब [illegible] मूल वाद के संलग्न सम्मन का अवलोकन से स्पष्ट है [illegible] तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन की तामीली विधिवत रूप से [illegible] की गई। जहां तक विप्रार्थीगण (वादीगण) के अधिवक्ता का यह कथन कि प्रार्थीगण्न्याय आपके द्वारा अभियान में उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किये गये का मूल वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) को न्याय आपके द्वार अभियान के सम्बन्ध में कोई जानकारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:51:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

अनवान दीपाराम वगै. v/s नगाराम वगै

मुकदमा नंबर 442 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विप्रार्थीगण (वादीगण) के अधिवक्ता इस बात को सिद्व नहीं कर पाये गये प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान उक्त वाद के सम्बन्ध में शिविर स्थल पर उपस्थिति का ज्ञान हो। विधि की यह मंशा है कि वाद/प्रार्थना पत्र का निर्धारण पक्षकरान को सुना जाकर गुणावगुणो के आधार पर किया जाना चाहिए यदि प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो किसी भी पक्षकारन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है मूल वाद प्रकरण संख्या 306/2010 अनवान नगाराम बनाम दीपाराम में दिनांक 16.05.2016 को जारी प्राथमिक डिक्री को अपास्त किया जाता है मूल वाद पुनः सुनवाई में लिया जाता है । पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलक्टर
(S.D O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:51:31 IST
Reason: SelfAttested